

पृ. 6  
२५

पत्रावली पेश। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को  
बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार  
आवाज लगाने के पश्चात भी प्रार्थी

व वकील पार्थी न्यायालय में हाजिर  
नहीं आये। अतः पार्थी का पार्थना पत्र  
अन्तर्गत धारा 212 गीटी अफम हाजरी  
अफम परैवी के खारीष किया जाता है।  
प्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर  
से कम होकर दाखिल दफतर हो।



उपखण्ड अधिकारी  
दातारामगढ़ (सीकर)